न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मीसा भारती बनाम ओमप्रकाश आदि

किस्म मुकदमा धा.प्र.सं. 242 (जप्ती) मु.नं. 55 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा - पत्र
27/3/26	पत्रावली में वकील प्रार्थिया / वादिनी के विरुद्ध तलबी कार्यवाही पेश होने पर पत्रावली मान पेशी के ली गई। वकील प्रार्थिया / वादिनी द्वारा उपस्थित वकील प्रार्थिया / वादिनी ने निवेदन किया कि प्रकरण के आगे दस्तावेज पेश करना अब नहीं चलाना चाहते हैं अतः हस्तगत पत्रावली को खारिज किया जावे। वकील प्रार्थिया को पुनः पत्रावली का अवलोकन किया अतः वकील प्रार्थिया के निवेदन पर हस्तगत पत्रावली को खारिज किये जाने किये जाने के लिये जाते हैं पत्रावली के अन्य वर्ग मर्यादी अनेक्षित नहीं है पत्रावली चेपकर एवं तकमील कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर